न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
03 / 22	एफएसएस एक्ट, 2006	25 / 08 / 2022

1. पदम सिंह परमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर
–आवेदक

बनाम

1. कैलाश चन्द्र गर्ग पुत्र श्री हुचीलाल गर्ग उम्र 54 वर्ष जाति वैश्य, निवासी मूर्ति मोहल्ल , गंगापुर सिटी (एफबीओ व मालिक) –फर्म – श्री कृष्णा ट्रेडर्स, पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 06/05/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 01 / 02 / 2022 को दोपहर 1:00 पीएम बजे मैसर्स श्री कृष्णा ट्रेडर्स ,पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी, पर पहुंचा वहां पर अरहर दाल 40 किलो कट्‌टे में बिक्री हेतु रखी हुई थी को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त अरहर दाल का नमूना वास्ते जांच देने हेतु विक्रेता से कहां और फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त 40 किलोग्राम अरहर दाल में से 4 किलों अरहर दाल वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री कैलाश चंद गर्ग पुत्र श्री हुचीलाल गर्ग को रू0 336/– (तीन सौ छत्तीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये 4 किलों अरहर दाल को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा अरहर दाल को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किऐ गये तथा बराबर–बराबर नियमानुसार चार नमूना तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया तत्पश्चात् आवेदक कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांधकर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को श्री मौहम्मद असलम वार्ड बॉय के द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों में एक खाकी कागज में लेपट कर कागज के कोनों पर गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/22/461 दिनांक 08/03/2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/605/एक्ट/2022 /644 दिनांक 02.03.2022 का अध्ययन करने पर यह नमूना अवमानक (**Substandard**) प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/605/एक्ट/2022 /644 दिनांक 02.03.2022 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक (**Substandard**) खाद्य पदार्थ्ज्ञ अरहर दाल का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित।अभियुक्तगण ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अभियुक्तगण ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि अभियुक्त एक छोटा दुकानदार है तथा किराये की दुकान करता है। प्रार्थी द्वारा बड़ी फर्मो से माल कय कर उसी अवस्था में माल का विक्रय किया जाता है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट का कार्य नहीं किया जाता है। प्रार्थी किराये की दुकान कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी के पास आजिविका का एक मात्र साधन है तथा न्यूनतम जुर्माना से दण्डित कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है। ।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/605/एक्ट/2022 /644 दिनांक 02.03.2022 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक (**Substandard**) खाद्य पदार्थ अरहर दाल का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है तथा आवेदक स्वयं ने अपनी आर्थिक स्थिती से अवगत कराते हुए न्यूनतम जुर्माना से दण्डित कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है। जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त स्वयं ने अपना जुर्म स्वीकार किया है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को 5000 (पांच हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 06/05/2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी